ikDdFku

यह प्रतिवेदन मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य एवं सामाजिक (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्रों के विभागों जिनमें उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सामाजिक न्याय, आदिम जाति कल्याण, जेल, लोक सेवा प्रबंधन, अनुसूचित जाति कल्याण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, आयुष, चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, गृह तथा महिला एवं बाल विकास सम्मिलित है, की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है। तथापि, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभागों को छोड़ दिया गया है तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाहित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2014–15 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करने के दौरान जानकारी में आये तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु उन्हें पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया गया था। वर्ष 2014–15 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरुप की गई है।